राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3989/2018

इन्द्रपाल सिंह –अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला भरतपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, Runghai Karan सेवर भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.10.2018
आदेश की दिनांक : 30.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2018 एवं 01.08.2018 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को सभी लाभ प्रदान किये जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–III के पद पर अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में नियम 1975 के तहत दिनांक 04.08.1992 को हुई थी और उसे दिनांक 19.08.1994 को अध्यापक ग्रेड–III के पद पर स्थाई किया गया। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतनमान 4500–7000 आदेश दिनांक 07.11.2002 के द्वारा दिया गया और आदेश दिनांक 03.01.2003 उसका वेतन निर्धारण किया गया द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 20.01.2012 के द्वारा दिनांक 03.08.2010 से दिया गया और उसका वेतन निर्धारण दिनांक 16.05.2012 के द्वारा किया गया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.05.2018 के द्वारा ग्रेड–पे 4800/– निर्धारित किया गया और जिला

शिक्षा अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी बीएड की योग्यता अर्जित कर चुका है, इसलिए उसका नियमित नियुक्ति दिनांक से निर्धारण किया जाये। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2018 एवं 01.08.2018 पुरी तरह से अवैध एवं विधि विरूद्व है। तद्उपरान्त प्रत्यर्थी विभाग एसीपी निरस्त होने के बाद अपीलार्थी से वसूली करने जा रही है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2018 एवं 01.08.2018 नियम विरूद्व होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2018 एवं 01.08.2018 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को सभी लाभ प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि अपीलार्थी की नियुक्ति मृत राज्य कर्मचारी आश्रित रूप में अध्यापक के पद पर दिनांक 04.08.1992 को हुई थी। जिसमें तीन वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य था। परन्तु वित्त विभाग के आदेश दिनांक 07.08.1998 के अनुसार अप्रशिक्षित अध्यापक द्वारा बीएड/एसटीसी उत्तीर्ण करने के पश्चात वेतन वृद्वि का लाभ दिया जायेगा व नियमित उप योग्यता उत्तीर्ण करने की दिनांक से मानी जायेगी। अपीलार्थी को नियमानुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से वेतन आदि का लाभ दिया गया है अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.11.2004 को बीएसटीसी योग्यता उत्तीर्ण की है और वित्त विभाग के नियमों की पालना में रीफिक्सेशन किया जाना आवश्यक है तथा अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति मृत राज्य कर्मचारी आश्रित के रूप में राजस्थान आश्रित नियम, 1975 के अंतर्गत अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी। अपीलार्थी को नियमित पद के विरूद्व नियुक्ति दी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को एस.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 08.11.2004 को एस.टी.सी. प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया। अपीलार्थी के समान तथ्यों पर कार्मिक विभाग ने भी आदेश दिनांक 02.06.2013 में यह निर्देश जारी किए हैं कि मृतक आश्रित सेवा नियमों के तहत नियुक्त कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण दिनांक से मानी

जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.एल.सी. 2003 यू.सी. पेज 677 गोविन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं रामचन्द्र बनाम अधिशाषी अभियंता व अन्य के प्रकरण (डब्ल्यू. एल. सी. (राज.) 1999 (1) पेज 258) के निर्णय में आश्रित नियमों के अंतर्गत की गई नियुक्ति को नियमित नियुक्ति ही माना है। इसलिए अपीलार्थी की सेवाओं की गणना कार्यग्रहण की दिनांक से गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.06.2018 एवं 01.08.2018 उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2018 एवं 01.08.2018 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की सेवाओं की गणना कार्यग्रहण दिनांक से करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ एवं समस्त एरियर सहित पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य